न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 21/20

अरविन्द पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम घाटरी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. धर्मवती बेवा बाबूलाल
2. सतेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल
3. सन्तोष पुत्री बाबूलाल पत्नी अशोक कुमार जाति ब्राहमण निवासी हेलक तह0 कुम्हेर
4. शशी पुत्री बाबूलाल पत्नी वृजकिशोर जाति ब्राहमण निवासी न्यौठा तहसील नदबई।
5. सरला पुत्री बाबूलाल पत्नी वीरेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण नि0 बासमोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. तहसीलदार भुसावर जिला भरतपूरा

.....रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 03.10.2016 तहसीलदार भुसावर। नामान्तरकण संख्या 1521 बाकै ग्राम घाटरी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, वकील रैस्पो0 सं0 1 लगा0 5
2. राजकीय अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 6

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 25.02.2021

अपीलान्टान ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 03.10.2016 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 1521 ग्राम घाटरी तहसील भुसावर विरासत का रैस्पों के नाम स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1521 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई है। बकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1521 दिनांक 03.10.2016 खिलाफ कानून है। अपीलान्ट व रैस्पो0 मध्य नामान्तरकरण संख्या 1521 में दर्ज आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगन आदेश जारी है। रैस्पो0 ने पटवारी से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 1521 दिनांक 03.02.2016 को खुलवाकर आई.एल.आर. के समक्ष प्रस्तुत करते हुये दिनांक 05.02.2016 को अंकन सही होने की रिपोर्ट कराली और अपने पास रख लिया और करीब 8 माह बाद यानि दिनांक 03.10.2016 को रैस्पो0 से साज करते हुये तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करते हुये अपीलान्ट व रैस्पो0 के नाम सामुहिक रूप से स्वीकृत करा लिया जबकि आई.एल.आर. की रिपोर्ट दिनांक 05.02.2016 के पश्चात पटवारी हल्का को नामान्तरकरण संख्या 1521 स्वीकृत ग्राम पंचायत के समक्ष पेश करना चाहिये था, राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 04.09.1982 के विरूद्ध तहसीलदार भुसावर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकृत किया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया है। तहत न्यायालय में दिनांक 16.08.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की कि जब तक मुकदमें का निस्तारण न हो जाये तब तक नामान्तरकरण अपीलान्ट व रैस्पो0 के नाम स्वीकृत नहीं किया जावे। उन्होने यह भी जाहिर किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को जमाबन्दी की नकल दिनांक 04.02.2017 को हुई, तुरंत तहसील से नकल प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से पेश किया है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 1521 में अपीलान्ट व रैस्पो0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकार किया गया है। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 04.09.1982 का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार प्रतिपादित है:-

The powers of deckling undisputed cases of mutation conferred on the tehsildar by sub-section (1) of section 135 of the said act shall also be exercised by the village panchayat of the village in which the land is situated. except mutations following allotment of land or in pursuance of orders of court.

The application received by the tehsildar in this behalf shall be duty entered in a register to be maintained for disposal of such applications, thereafter, lorwarded to the concerned village panchayat for disposal in cases in which 45 days from the date of receipt by it either direcly or through the tehsildar the village panchayat shall cease to have juriddiction in the mater, and the application will be forwarded to the tehsildar having jurisdiction forthwith who will enquire into the dispose of the application within 30 days of its receipt by him, in cases in which a village panchayat does not forward the applicatin immediately after the expiry of 45 days, the tehsildar having jurisdiction shall have power to recall application from the village panchayat and dispose of the same.

इस अधिसूचना में यद्यपि अविवादित नामान्तरकरण के सम्बन्ध में अधिकार ग्राम पंचायत को दिये गये है और तहसीलदार के अधिकार 45 दिन के लिये रोक दिये गये है लेकिन 45 दिन बाद अधिकार स्वतः ही तहसीलदार को वापिस प्राप्त हो जाते है और तहसीलदार को अपने मूल क्षेत्राधिकार की दृष्टि से जो कि अधिनियम की धारा 135 (1) में दिये गये है ऐसे नामान्तरकरण खोलने का अधिकार है। अधिसूचना के प्रथम पैरा में यह उल्लेख है कि तहसीलदार के अधिकार पंचायत द्वारा भी काम में लिये जायेगे। इस प्रकरण में यह आवश्यक है कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1521 विरासत के आधार पर भरा गया है और उसके द्वारा मृतक के वारिस के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। तहसीलदार भुसावर ने पत्रावली के रूप में केवल नामान्तरकरण की प्रति भेजी है, सम्पूर्ण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पत्रावली उपलब्ध नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि नामान्तरकरण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं व किन परिस्थितियों में ततहसीलदार भुसावर को नामान्तरकरण स्वीकार करना पडा यह भी ज्ञात नही हो पा रहा है। लेकिन तहसीलदार भुसावर द्वारा यह नामान्तरकरण संख्या 1521 दिनांक 03.10.2016 को स्वीकृत किया गया यह प्रकट है। वह दिनांक 05.02.2016 को भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट सही मानते हुये किया गया है। पटवारी एवं गिरदावर हल्का को यह जानकारी थी कि ऐसे नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा ही स्वीकृत किये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में ऐसे कोई तथ्य रिकार्ड पर नहीं है कि उस समय ग्राम पंचायत को कोई आदेदन पत्र प्राप्त हुआ या नहीं लेकिन इस नामान्तरकरण देखने से यह स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण में कोई इस प्रकार की अवैध कार्यवाही अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। यह आवश्यक है कि यदि वारिस आवेदन पत्र देता है तो तहसीलदार द्वारा उसे यदि ग्राम पंचायत अस्तित्व में होती तो उसे प्रेषित करना चाहिये था। यह अनियमितता इस प्रकरण में अवश्यक प्रकट होती है। लेकिन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कोई विधि विरूद्ध कार्यवाही की हो जिससे कि नामान्तरकरण शून्य हो जाता है। ऐसा इस नामान्तरकरण की कार्यवाही में प्रकट नही होता। न तो नामान्तरकरण किसी अधिनियम की धारा के प्रावधानों के विरूद्ध स्वीकृत हुआ है। अधिनियम की धारा 135(1) के प्रावधान जो तहसीलदार को ऐसे नामान्तरकरण खोलने में मूल सक्षम अधिकारिकता प्रदान करते है। उसके विरूद्ध भी इस नामान्तरकरण की कार्यवाही नही पाई जाती। जहा तक अधिसूचना का सवाल है अधिसूचना का प्रभाव अधिनियम की धारा के ऊपर नही होता है। सार्वजनिक हित या सार्वजनिक नीति के खिलाफ यह नामान्तरकण स्वीकृत नही हुआ है।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट की यह भी आपत्ति है कि अपीलान्ट को बिना सुने नामान्तरकरण दर्ज किया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) मे संक्षिप्त जांच का प्रावधान है। नामान्तरकरण ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जारी मजरा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है। अतः पक्षकार को सुने जाने की आपत्ति खारिज योग्य है। अपीलान्ट का कहना है कि विवादित आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा दर्ज करना चाहिये था जबकि सभी को बराबर दर्ज कर दिया गया परन्तु अपीलान्ट ने ऐसा कोई भी सक्षम न्यायालय का आदेश प्रस्तुत नहीं किया जिससे

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज.)

विवादित आराजी पर अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा साबित होता हो। अपीलान्ट का यह भी कहना है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.03.2016 से विवादित आराजी के सम्बन्ध में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दे रखे है। स्थगन आदेश होने के बावजूद तहसीलदार भुसावर ने नामान्तरकरण संख्या 1521 स्वीकार किया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 02.03.2016 का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दोनों पक्षकारों को मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थित में सम्बन्ध में पावन्द किया गया है, जिसमें तहसीलदार पक्षकार नहीं है। अतः स्थगन होते हुये नामान्तरकरण दर्ज करने की आपत्ति खारिज योग्य रहती है। अतः उपर्युक्त सभी तथ्यों पर अपील खारिज योग्य रहती है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भुसावर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)